

बिहार लोक सेवा आयोग,

15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना- 800001

वि.सं. - 80/2014 के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना

बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में साहित्य विषय में सहायक प्राचार्य, के पदों पर नियुक्ति हेतु वि.सं.-80/2014 के अन्तर्गत अर्हित/अनर्हित अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करते हुए अनर्हित अभ्यर्थियों से अपनी अनर्हिता पर आपत्ति होने के स्थिति में दिनांक 21.01.2019 तक आपत्ति अभ्यावेदन की मांग की गयी थी। तदालोक में प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदनों के साथ संलग्न साक्ष्य स्वरूप प्रमाण पत्रों के समीक्षोपरांत एवं विषय विशेषज्ञ की संस्तुति के आलोक में निम्नलिखित उम्मीदवारों को अनर्हित से पूर्णतः औपबधिक रूप से अर्हित करने का निर्णय लिया गया है :-

क्र. सं.	नाम	अनुक्रमांक	पूर्व की स्थिति	वर्तमान स्थिति
1.	रंजीत कुमार ठाकुर	80010060	अनर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
2.	मुरारी कुमार मिश्र	80010298	अनर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
3.	अजेष. टि.वि.	80010488	अनर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
4.	अनिल कुमार झा	80010501	अनर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
5.	विश्वनाथ एम.वि.	80010533	अनर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
6.	लीलाधर कुमार	80010538	अनर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
7.	निशा	80010546	अनर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
8.	महेन्द्र कुमार चौधरी	80010566	अनर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित

2. शेष निम्नलिखित उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदन विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण अस्वीकृत करते हुए पुनः अनर्हित की श्रेणी में यथावत रखा गया है:-

80010010	80010021	80010085	80010094	80010104	80010174	80010191	80010210	80010234
80010277	80010326	80010330	80010418	80010434	80010463	80010506	80010550	80010554
80010581	80010597							

3. आयोग द्वारा गठित विषय विशेषज्ञ समिति की संस्तुति के अनुरूप स्नातकोत्तर का विषय साहित्य के अंतर्गत नहीं रहने के कारण निम्नांकित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवार को अर्हित से अनर्हित किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	अनुक्रमांक	पूर्व की स्थिति	वर्तमान स्थिति
1.	श्री उमेश कुमार मिश्र	80010596	अर्हित	अनर्हित

- औपबधिक रूप से अर्हित उम्मीदवारों की अर्हिता पर अन्तिम निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा Ph.D/M.Phil with UGC Regulation 2009 का दावा किया गया है, उन्हें विशेष रूप से निर्देश दिया जाता है कि वे अपने-अपने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से निर्गत Pre Ph.D अंकपत्र एवं Ph.D/M.Phil कितने और किन-किन Criteria से उत्तीर्ण हुए हैं, से सम्बन्धित प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय समर्पित करेंगे। उक्त प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने वाले अभ्यर्थी को Ph.D/M.Phil without UGC Regulation 2009 माना जाएगा एवं तदनुसार उनके अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी।
- आयोग के वेबसाईट पर पूर्व से प्रदर्शित अर्हित एवं अनर्हित उम्मीदवारों की सूची को इस हद तक संशोधित समझा जाए।
- साक्षात्कार कार्यक्रम की सूचना बाद में प्रकाशित की जायेगी।

8.3.19

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना